जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू :-

(पशुपालकों के लिए आम सूचना।)

पलामू जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों/पशुपालकों/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों/सखी मण्डलों के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान (गव्य विकास) रांची के पत्रांकः–88, दिनांकः–25.07.2019 के आलोक में वितीय वर्ष 2019–20 अन्तर्गत पलामू जिला के लिए राज्य के अंदर **दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण प्रशिक्षण** कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित तिथियों के अनुसार **प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, सेक्टर–2, धुर्वा, रांची** में किया जाना है। इच्छुक पशुपालक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से अनुशंसा पहचान पत्र (आधार कार्ड का छाया प्रति), दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, अपने नाम का बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति एवं IFSC कोड के साथ आवेदन कार्यालय में जमा करना चाहेंगे। **प्रशिक्षण संस्थान धुर्वा, रांची तक आने–जाने का मार्ग व्यय स्वयं वहन करना है। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणर्थियों द्वारा किये गये मार्ग व्यय की राशि को सीधे उनके बैंक खाता के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जायेगी।**

वितीय वर्ष 2019–20 का प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत है।

1. **प्रशिक्षण का नाम–दुधारू पशु प्रबन्धन एवं पशु पोषण प्रशिक्षण।**

क0	दिनांक	समान्य जाति (OSP)			अनूसूचित जाति (SCSP)			जोड़
	प्रशिक्षण अवधि	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	
1	20.08.2019 से 27.08.2019	10	5	15	2	2	4	19
2	10.09.2019 से 17.09.2019	10	5	15	2	2	4	19
3	10.12.2019 से 17.12.2019	10	5	15	3	2	5	20
4	17.12.2019 से 24.12.2019	10	5	15	2	2	4	19
5	24.12.2019 से 31.12.2019	10	5	15	2	2	4	19
6	31.12.2019 से 07.01.2019	05	5	10	2	2	4	14
7	21.01.2020 से 28.01.2020	10	5	15	0	0	0	15
कुलः–		65	35	100	13	12	25	125

नोट :–

1. साक्षर हो।
2. उम्र न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 55 वर्ष के अन्दर हो।
3. महिलाओं को अपने साथ बच्चा ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

06/8/19

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
पलामू।